Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

सितम्बर (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- पाँचदिवसीय 'टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल' 3
- राजस्थान ने मतदाता पहचान-पत्र से आधार संख्या जोड़ने में तीन करोड़ के आँकड़े को किया पार
- मनरेगा में मेट मज़दूरी अब 240 रुपए प्रति दिवस 4
- राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन 4
- राजस्थान के दो शिक्षक 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित 5
- राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2022 5
- शिक्षा मंत्री ने किया 'मिशन बुनियाद' का शुभारंभ 6
- राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों और आई.एम.टी. गाज़ियाबाद के मध्य हुआ एम.ओ.यू. 6
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर 6
- नशा मुक्त राजस्थान के लिये मुख्यमंत्री के तीन अहम निर्णय 7
- 'राजीव गांधी जल संचय योजना' के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय 8
- 'मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना' का लोकार्पण 8
- स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल 9
- विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार 'मिशन तहसील 392' कार्यक्रम 9
- राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव 10
- राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से हुआ बायर-सेलर मीट का आयोजन 10
- सवाई माधोपुर की तर्ज़ पर राज्य के प्रत्येक ज़िले में विकसित होंगी दो गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत 10
- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार पर लगाया 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना 11
- 512 नवीन इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ 11
- जोधपुर में स्थापित होगी क्रिकेट अकादमी 12
- प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति-2022 हुई जारी 13
- राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 13
- राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 14
- राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 14
- राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 15
- राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2022 15
- राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 16
- अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ 16
- अलवर में होगा फूड पार्क का निर्माण 16
- 'राजस्थान महिला निधि' की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान 17
- 'लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' के लिये 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान 17
- विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिये 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान 18
- प्रदेश के 716 विद्यालय पीएम श्री योजना में बनेंगे मॉडल स्कूल 18
- जयपुर में विकसित हो रहा देश का पहला कोचिंग हब 18
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन 19

नोट :

राजस्थान

पाँचदिवसीय 'टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल'

चर्चा में क्यों ?

31 अगस्त, 2022 को राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जयपुर के जय महल पैलेस होटल में पर्यटन विभाग और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पाँचदिवसीय 'टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल' का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि टाइम्स राजस्थान कुजीन ट्रेल में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने जयपुर में अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेल का बीकानेर, जोधपुर होते हुए उदयपुर पहुँचेगी, जहाँ 5 सितंबर को ट्रेल का समापन हुआ। इस दौरान प्रतिभागी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया।
- प्रसिद्ध मास्टर शेफ शिप्रा खन्ना और हरपाल सिंह सोखी सहित 20 से अधिक देश-प्रदेश के जाने-माने ब्लॉगर और इंफ्लुएंसर के दलों ने ट्रेल में हिस्सा लिया।
- सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान अपनी संस्कृति, समृद्ध विरासत और वैभवशाली इतिहास के लिये दुनिया भर में विख्यात है। प्रदेश की पाक कला और व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध हैं तथा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने में व्यंजनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- प्रदेश अपने मेहमाननवाज़ी के लिये विश्वप्रसिद्ध है। स्वदेशी हो या विदेशी पर्यटक, वे यहाँ की कला और संस्कृति, किले, महल, बावड़ियाँ, थार का रेगिस्तान, ऊँट की सवारी, घूमर, कालबेलिया नृत्य, रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधान और जायकेदार लजीज व्यंजन से अभिभूत हो जाते हैं।
- राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत ने राज्य की पाक व व्यंजन कलाओं पर विशेष प्रभाव डाला है। प्रदेश के प्रत्येक शहर का अपना विशिष्ट व्यंजन है। यहाँ कलिनरी टूरिज्म के नए कॉन्सेप्ट और कई कलिनरी कोर्सेस की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।

राजस्थान ने मतदाता पहचान-पत्र से आधार संख्या जोड़ने में तीन करोड़ के आँकड़े को किया पार

चर्चा में क्यों ?

30 अगस्त, 2022 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में एक अगस्त से चल रहे मतदाता पहचान-पत्र से आधार संख्या जोड़ने के अभियान में राजस्थान ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए तीन करोड़ के आँकड़े को पार कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अब तक कुल 3 करोड़ 1 लाख 34 हज़ार 321 फॉर्म 6 बी के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं।
- 31 विधानसभा क्षेत्रों में 1.80 लाख से ज़्यादा आधार संख्या जोड़ी गई है, वहीं 7 विधानसभा क्षेत्रों में यह आँकड़ा 2.0 लाख को पार कर गया है।
- आधार संख्या जोड़ने में धौलपुर 85.23 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है। सवाई माधोपुर 74.05%, गंगानगर 73.10%, नागौर 69.60%, अलवर 69.22% के साथ प्रदेश के अग्रणी ज़िले हैं।
- उन्होंने बताया कि राज्य का औसत प्रतिशत 59.33% है, वहीं सभी विधानसभा क्षेत्रों का औसत 1 लाख 50 हज़ार 672 है। किशनगढ़ बास 86.91%, डेगाना 86.19%, धौलपुर 85.67%, राजाखेड़ा 85.46%, बसेड़ी 85.25% के साथ अग्रणी विधानसभा क्षेत्र हैं।

नोट :

मनरेगा में मेट मज़दूरी अब 240 रुपए प्रति दिवस

चर्चा में क्यों ?

4 सितंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा में मेट मज़दूरी बढ़ाने के लिये ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। प्रदेश में कार्यरत् मेटों को अब प्रति दिवस 240 रुपए मिलेंगे।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मज़दूरी में बढ़ोतरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत की गई है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंज़ूरी से वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजनांतर्गत नियोजित मेटों की मज़दूरी दर 235 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 240 रुपए प्रति दिवस की गई है।
- उल्लेखनीय है कि मनरेगा में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अर्द्धकुशल श्रमिकों (मेट) पर किये गए व्यय को सामग्री की श्रेणी में माना जाता है। सामग्री व्यय का 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिये प्रतिवर्ष अकुशल श्रमिक की मज़दूरी दर अधिसूचित की जाती है। अकुशल श्रमिक के भुगतान की संपूर्ण राशि श्रम मद में केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना का संचालन राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, द्वारा किया जा रहा है।
- ऐसे ग्रामीण परिवार, जिनके पास रोज़गार के पर्याप्त साधन अपने स्वयं के गाँव में उपलब्ध नहीं है, से जुड़ा हुआ तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला यह कार्यक्रम सामान्य भाषा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के नाम से अधिक प्रचलित है।
- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ तथा चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया गया। पहले चरण में इसे राज्य के 6 ज़िले यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही एवं उदयपुर में लागू किया गया।
- द्वितीय चरण में वर्ष 2007-08 से इसे राज्य के 6 अन्य ज़िलों यथा बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालोर, टोंक एवं सवाई माधोपुर में लागू किया गया। तृतीय एवं अंतिम चरण के रूप में इसे राज्य के शेष सभी ज़िलों में लागू किया गया।

राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन

चर्चा में क्यों ?

3 सितंबर, 2022 को राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग व उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिये राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (राजसिको) के चेयरमैन राजीव अरोड़ा को काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं महावीर प्रसाद शर्मा को वाइस चेयरमैन व अनिल कुमार बख्शी, संजीव अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, रवि पोद्दार और एसएन मोदानी को निदेशक बनाया गया है। काउंसिल में 21 संस्थापक सदस्य, 7 निदेशक, एक वाइस चेयरमैन व एक चेयरमैन चुने गए हैं।
- अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने काउंसिल की पहली बैठक में कहा कि काउंसिल का मूल उद्देश्य प्रदेश में निर्यात को बढ़ाना है। राज्य सरकार की सहज औद्योगिक नीतियों के चलते पिछले 4 वर्षों में निर्यात में लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है व निर्यात में क्वांटम जंप आया है। काउंसिल में अधिक-से-अधिक सदस्यों को जोड़ना प्रथम लक्ष्य है, ताकि छोटे-से-छोटे उत्पादक से लेकर बड़े-से-बड़े निर्यातक को इसका लाभ मिल सके।
- उन्होंने बताया कि काउंसिल के ज़रिये निर्यातकों की हर परेशानी को दूर किया जाएगा। सभी प्रकार के मामलों को काउंसिल अपने स्तर पर हैंडल करेगी और जो भी प्रभावित कंपनी होंगी उनसे बात कर मामलों का निस्तारण करेगी। काउंसिल की मंशा राज्य के सभी उद्योगों के उत्पाद का एक्सपोर्ट के लिये प्रमोशन करना है, ताकि कोई भी क्षेत्र अधूरा नहीं रह जाए।
- उद्योग आयुक्त महेंद्र कुमार पारख ने कहा कि राज्य में औद्योगिक एवं निर्यात विकास के लिये काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल में हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग के उत्पादों को शुरुआती दौर में बढ़ावा दिया जाएगा।

नोट :

राजस्थान के दो शिक्षक 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राजस्थान के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2022 से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चुना गया था, जिनमें राजस्थान के दो शिक्षक दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी भी शामिल थे।
- राष्ट्रपति द्वारा शिक्षकों को सम्मानस्वरूप प्रत्येक को रजत पदक, 50 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
- उदयपुर ज़िले की फलासिया पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगियापाडा स्कूल के शिक्षक दुर्गाराम मुवाल ने आदिवासी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बच्चों के परिजनों के पास जाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिये जागरूक किया। बालश्रम के खिलाफ गाँव में जागरूकता अभियान चलाया और कई घरों में जाकर बच्चों में पढ़ने की अलख जगाई। तस्करी के बारे में सूचनाएँ जुटाकर बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाने का भी सराहनीय कार्य किया।
- बीकानेर ज़िले के राजकीय मूक-बधिर विद्यालय की शिक्षिका सुनीता गुलाटी को वर्ष 2017 में सामान्य शिक्षक के रूप में विद्यालय में नियुक्ति मिली थी, जिसके बाद से उन्होंने मूक-बधिर बच्चों के लिये काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने बच्चों के साथ रहते हुए स्पेशल टीचर के रूप में ट्रेनिंग ली और फिर रिहैबिलेशन कौंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाया। मूक-बधिर बच्चों को हर तरह की मुश्किलों के लिये तैयार किया, जिसके बाद बच्चों ने नेशनल लेवल के साइंस कॉम्पिटिशन में तीन अवार्ड भी जीते।
- गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- पुरस्कारों के लिये शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीनस्तरीय चयन प्रक्रिया के ज़रिये पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।

राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2022

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान अलग-अलग वर्गों में 98 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिये राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2022 से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही, शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के 6 शिक्षा अधिकारियों को भी ज़िला रैंकिंग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिये सम्मानित किया।
- डॉ. कल्ला ने सम्मानित शिक्षकों के परिचय के लिये एक सम्मान पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही आर. केस एम. बी. के. ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिये अत्यंत उपयोगी साबित होगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा पवन कुमार गोयल ने शिक्षकों को प्रेरणा का स्रोत बताया और शिक्षा में संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। शिक्षा में कोरोना काल के दौरान लर्निंग लॉस की भरपाई करने के लिये राजस्थान सरकार के नवाचार राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम को विभाग की एक महत्त्वाकांक्षी योजना बताया।

नोट :

शिक्षा मंत्री ने किया 'मिशन बुनियाद' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2022 को शिक्षा मंत्री डॉ. बी- डी- कल्ला ने शिक्षा संकुल में राज्य के स्कूली बच्चों के लिये 'मिशन बुनियाद'का शुभारंभ किया ।

प्रमुख बिंदु

- मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी की समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करके विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाना, जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट रेट कम करना है।
- इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।
- मिशन बुनियाद को राजस्थान सरकार द्वारा चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (CIFF), कैवल्या एजुकेशन फाउंडेशन (पीरामल फाउंडेशन), जी.डी.आई. पार्टनर्स तथा कोंन्वेजीनियस के सहयोग से शुरू किया गया है। कैवल्या एजुकेशन फाउंडेशन के अनुसार यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड ऐडेप्टीव लर्निंग (P.A.L) कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर, 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 ज़िलों- उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली में की गई थी। इन ज़िलों से कक्षा 8 से 12 तक के 24,360 विद्यार्थी प्रोजेक्ट में शामिल हुए और उनके सीखने की क्षमता में औसतन 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों और आई.एम.टी. गाज़ियाबाद के मध्य हुआ एम.ओ.यू.

चर्चा में क्यों ?

6 सितंबर, 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में राजभवन में आई.एम.टी. गाज़ियाबाद एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के मध्य खेल संस्कृति के विकास के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण सहमति-पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुए।

प्रमुख बिंदु

- इस एम.ओ.यू. के अंतर्गत स्थानीय और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने पर कार्य होगा।
- राज्यपाल ने इस अवसर पर उम्मीद जताई कि एमओयू से आई.एम.टी. गाज़ियाबाद के स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर की मदद से राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्थान में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और खेलों के विकास का बेहतर वातावरण बन सकेगा।
- उन्होंने कहा कि आई.एम.टी. गाज़ियाबाद और राज्य के विश्वविद्यालयों का इस संबंध में संयुक्त प्रयास लोगों में खेल के प्रति जागरूकता पैदा कर उन्हें पारंपरिक खेलों के साथ आधुनिक खेलों से जोड़कर राजस्थान को खेलों में अग्रणी कर सकेगा।
- इस अवसर पर आई.एम.टी. गाज़ियाबाद के स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर के हैड डॉ. कनिष्क पांडेय ने बताया कि एमओयू के तहत प्रदेश के उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ज़िलों में पारंपरिक खेलों के विकास के साथ ही यहाँ पर खेलों से जुड़ी अन्य संभावनाओं पर कार्य करते हुए स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया जा सकेगा।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

6 सितंबर, 2022 को राजस्थान जनसंपर्क विभाग द्वारा बताया गया कि बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई जनआधार योजना राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन तक सरलता एवं सुगमता के साथ पहुँचाने में कारगर सिद्ध हुई है।
- जन आधार योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 93 लाख परिवार नामांकित हो चुके हैं। इन परिवारों के करीब 7 करोड़ 48 लाख नामांकित सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी पात्रतानुसार जन आधार के माध्यम से मिल रहा है।
- योजना के माध्यम से अब तक लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए हस्तांतरण किये जा चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। योजना में अब तक नकद और गैर-नकद लाभ के 119 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन कर लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में लाभ दिया गया है।
- राज्य सरकार की 70 योजनाओं को जन आधार से जोड़ा गया है। ज़्यादातर योजनाओं को इससे जोड़ने की दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि जन आधार कार्ड में मुखिया महिला को चुना जाता है। इससे समाज में महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को भी बल मिला है।
- राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग पहचान-पत्र के रूप में भी किया जा सकता है।
- यह एक ऐसी महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार का जन-सांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रभावी योजनाओं के निर्माण के साथ ही नीति-निर्धारण में आसानी हो और आमजन तक इनका लाभ भी सुगमता से पहुँचे।

नशा मुक्त राजस्थान के लिये मुख्यमंत्री के तीन अहम निर्णय

चर्चा में क्यों ?

7 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिये अहम निर्णय लेते हुए प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने, नशा पीड़ितों के पुनर्वास एवं जनजागरूकता फैलाने सहित विभिन्न कार्यों के लिये 'नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय/आयुक्तालय', 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ)' तथा 'एंटी नारकोटिक्स यूनिट (एएनयू)' के गठन हेतु प्रस्तावों को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- 'नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय/आयुक्तालय'में आयुक्त पदेन शासन सचिव, गृह को नियुक्त किया गया है। इस क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि व मनोचिकित्सक, मनोविज्ञानी आदि को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- साथ ही चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, आबकारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारी शामिल किये जाएंगे।
- 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स'का गठन अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एएनयू को सदस्य सचिव बनाया गया है।
- इस फोर्स में 10 सदस्य होंगे। इनमें स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के शासन सचिव और राजस्व आसूचना निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य औषधि नियंत्रक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक शामिल हैं।
- टास्क फोर्स, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। यह एनसीओआरडी की विभिन्न बैठकों के निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करेगी।
- नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कानून लागू करने के लिये रणनीति, उपाय एवं विभिन्न तरीकों को विकसित करना, दुरुपयोग को रोकना, पीड़ितों का पुनर्वास एवं जागरूकता फैलाने जैसे उद्देश्यों के लिये विभिन्न विभाग, सरकारी एजेंसियों एवं पुलिस ईकाईयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

नोट :

- यह फोर्स पुलिस, स्वास्थ्य व अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दवाओं की तस्करी में लिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित आँकड़ों का आकलन कर आवश्यक नीतिगत परिवर्तन के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करेगी।
- निदेशालय/आयुक्तालय द्वारा नशा नियंत्रण के लिये केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत प्रदत्त वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न विभागों की आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे।
- मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की रोकथाम के लिये एसओजी में महानिरीक्षक पुलिस की अध्यक्षता में 'एंटी नारकोटिक्स यूनिट (एएनयू)' का गठन किया जा रहा है। यह मुख्यत: एंटी नारकोटिक्स एनफोर्समेंट का कार्य करेगी।

'राजीव गांधी जल संचय योजना' के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय

चर्चा में क्यों ?

7 सितंबर, 2022 को राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा ने बताया कि राज्य सरकार ने 'राजीव गांधी जल संचय योजना'के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसके संबंध में आदेश जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सचिव अपर्णा अरोरा की ओर से जारी आदेशानुसार योजना के द्वितीय चरण के प्रमुख उद्देश्य आम जनता से चर्चा कर प्राथमिकता से पक्के एनीकट, एमआईटी, डब्ल्यूएचएस एवं एमएसटी का निर्माण कराना, विभिन्न वित्तीय संसाधनों का कन्वर्जेन्स कर परंपरागत पेयजल एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवित कराना है।
- इसी प्रकार गाँवों में पेयजल की कमी को दूर करने हेतु पीने के पानी को गाँव या गाँवों के नज़दीक उपलब्ध कराना, भू-जल स्तर में वृद्धि करना, वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिंचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना, जल एवं मृदा संरक्षण कर सिंचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना इत्यादि इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।
- द्वितीय चरण में राजस्थान की 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गाँवों को इस अभियान में शामिल किया गया है।
- द्वितीय चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष रहेगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिये राज्य, ज़िला व ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही कार्य योजना के प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन भी किया गया है।
- द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग प्रशासनिक विभाग एवं जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग नोडल विभाग रहेगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ज़िला कलक्टर नोडल अधिकारी रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने हेतु 20 अगस्त, 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गाँव शामिल किये गए थे।

'मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना' का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

8 सितंबर, 2022 को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के प्रताप नगर के सेक्टर-26 में 'मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना'का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत शिक्षकों तथा पुलिस जवानों को रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिये 15 लाख 70 हज़ार रुपए की रियायती दर पर फ्लैट आवंटित किये गए हैं।
- आवासन आयुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत 576 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। प्रत्येक फ्लैट में 2 बैडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन तथा 2 टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है।

नोट :

- योजना में पर्याप्त बेसमेंट पार्किंग, स्वीमिंग पूल विद चेंजिंग रूम, सभी 6 ब्लॉक में भरपूर ग्रीन एरिया, शानदार सिंथेटिक बास्केटबाल कोर्ट, सीसीटीवी विद सर्विलांस एवं ओपन जिम जैसी अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- गौरतलब है कि युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिये तैयार करने वाले शिक्षकों तथा कानून का इकबाल कायम रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों के लिये इस आवासीय योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 दिसंबर, 2019 को की थी और 27 मई, 2020 को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने इस योजना का शिलान्यास किया था।

स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

8 सितंबर, 2022 को राजस्थान उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान स्टेट कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली शिरकत करते हुए स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल को बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉरमेटिक्स) द्वारा एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कार्य योजना पर व्यापक डेटाबेस है।
- बीआईएसएजीएन द्वारा विकसित मानचित्र के माध्यम से रीयल-टाइम अपडेट के साथ सभी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की मैपिंग प्रदान की जाएगी। लॉजिस्टिक्स डिवीजन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) इस सिस्टम में जरूरी जानकारी और अपडेशन के लिये बीआईएसएजी एन के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स की सहायता करता रहेगा।
- गौरतलब है कि पीएम गति शक्ति योजना या मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना लॉजिस्टिक्स में लागत को कम करने, अपव्यय से बचने और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निष्पादन के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- केंद्र सरकार गति शक्ति एकीकृत योजना और बुनियादी ढाँचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिये 16 मंत्रालयों को एक साथ ला रही हैं। प्रदेश के 14 विभागों में से 11 विभाग पोर्टल से जुड़कर वांछित सूचनाओं के संकलन और अपलोडिंग का कार्य कर चुके हैं, शेष विभाग भी अपेक्षित डाटा संकलित कर उपलब्ध करवा रहे हैं।

विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार 'मिशन तहसील 392' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

10 सितंबर, 2022 को विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार 'मिशन तहसील 392' कार्यक्रम तहसील स्तर पर 27 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर संभाग की नोखा तहसील से की जाएगी। कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों की कुल 392 तहसीलों में आयोजित किया जाएगा।
- प्रत्येक संभाग के प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील पर विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार 'मिशन तहसील 392' के तहत विशेष योग्यजन भाई बहनों को उनकी समस्याओं के समाधान और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।
- उन्होंने बताया कि विशेष योग्यजनों को सुनवाई कार्यक्रम के दौरान विशेष योग्यजन प्रमाण-पत्र, उपकरण वितरण, चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना सहित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं इत्यादि से लाभान्वित किया जाएगा।

नोट :

राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2022 को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की पहल से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ESC) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) द्वारा राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में लगभग 150 स्टार्टअप, उद्यमी एवं ESC, STPI के गण्यमान्य व्यक्ति और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हुए।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य स्टार्टअप समिट्स - बिल्डिंग द नेक्स्ट यूनिकॉर्न के लिये मंच तैयार करना और यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी स्टार्टअप, उद्यमी और सरकारी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया द्वारा की गई इस पहल से अवगत हों।
- सम्मेलन के दौरान चुने गए 48 इनोवेटिव टेक स्टार्टअप्स में से मौजूद स्टार्टअप ने अपने जूरी सदस्यों के समक्ष राज्य स्तर पर शॉर्टलिस्ट किये जाने के लिये प्रतिस्पर्धा की, जिसमें टॉप 5 स्टार्टअप्स को सर्टिफिकेट प्रदान किये गए।
- स्टेट कॉन्क्लेव से चुनी गई स्टार्टअप्स को नेशनल कॉन्क्लेव में प्रख्यात जूरी पैनल द्वारा चयन के अंतिम दौर में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया जाएगा।
- चयनित स्टार्टअप्स को यूएसए के लिये ट्रैवल ग्रांट और यूएसए इन्वेस्टर्स एवं वेंचर कैपिटल लिस्ट के साथ प्रीफिक्स्ड मीटिंग के अलावा यूएसए में ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ नेटवर्किंग प्रदान की जाएगी।

राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से हुआ बायर-सेलर मीट का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2022 को राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (बायर-सेलर मीट) का आयोजन किया गया। सम्मेलन में दस्तकारों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शित किये। इस दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए के एलओआई पर भी हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग आयुक्त महेंद्र कुमार पारख ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। वहीं विक्रेता को भी अपने उत्पादों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है।
- उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे 80 सेक्टर्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के अनेकों उत्पाद बना रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है। राज्य में इस तरह का यह पहला प्रयास है, इसे और अधिक सक्रिय रूप से आयोजित किया जाएगा।
- केंद्र सरकार की डीआईपीटी की अतिरिक्त सचिव सुनीता डाबरा ने कहा कि यह विभाग का तीसरा प्रयास है। इस प्रकार के आयोजन क्रेता-विक्रेताओं को अच्छा मंच उपलब्ध कराते हैं।
- सम्मेलन में विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को जेम पोर्टल की विस्तृत जानकारी दी और इसका लाभ कैसे उठाया जाए, यह भी बताया। इस दौरान ऑथेंटिक जीआई के प्रतिनिधियों ने दस्तकारों को उत्पादों के जीआई से होने वाले लाभ के बारे में बताया और यह भी बताया कि जीआई टैग कैसे लिया जाता है।

सवाई माधोपुर की तर्ज़ पर राज्य के प्रत्येक ज़िले में विकसित होंगी दो गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत

चर्चा में क्यों ?

15 सितंबर, 2022 को शासन सचिव दिनेश कुमार यादव ने कहा कि सवाई माधोपुर की तर्ज़ पर राज्य के प्रत्येक ज़िले में दो ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर की सात ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है।
- सचिव दिनेश कुमार यादव ने विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक तथा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'योजना के तहत चिह्नित गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत हेतु सभी ज़िलों का संभाग अनुसार आयोजित प्रथम बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशालय महिला अधिकारिता एवं यूएनएफपीए के समन्वय से हुआ।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ज़िलों के उप निदेशक, सहायक निदेशकों सहित चिह्नित ग्राम पंचायतों की साथिन और सुपरवाइजर ने सहभागिता की।
- उल्लेखनीय है कि इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के साथ बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना'का अवलोकन, जेंडर और गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत (जीएफजीएफ) के प्रमुख घटक, रणनीति और प्रक्रिया समझना, हिंसा से प्रभावित लड़कियों और महिलाओं के लिये कानूनों और सेवाओं पर अवलोकन, महिलाओं के लिये राज्य नीति के संदर्भ में लड़कियों और महिलाओं हेतु आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित सेवाओं, कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया।
- गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायतों में बालिकाओं के लिये सामाजिक माहौल तैयार किया जाएगा। लड़की पैदा होने पर उत्साह मनाया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ बालिकाओं तक पहुँचाया जाएगा। जिन पंचायतों में बालिकाओं के लिये स्कूल नहीं हैं वहाँ स्कूल तैयार कराए जाएंगे। घर से स्कूल तक पहुँचने के असुरक्षित रास्तों को चिह्नित कर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों के बजट से बालिकाओं को सभी तरह की सुविधा देने के लिये पूरा विकासात्मक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार पर लगाया 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने राजस्थान सरकार पर 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिये लगाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि प्रदेश के जयपुर, नीमराना, भिवाड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और पाली सहित कुछ अन्य ज़िलों में सीमेंट और अन्य फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ से निकलने वाले पानी से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। इसके अलावा प्रदेश के शहरों से निकलने वाले ठोस कचरे का भी सही से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते एनजीटी ने प्रदेश सरकार पर जुर्माना लगाया है।
- न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रदूषण नहीं रोक पाने के लिये दोषी ठहराया। पीठ ने कहा कि भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिये अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा सरकार को पिछले उल्लंघनों के लिये मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिये।
- पीठ ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को दो मदों में बाँटा, जिस पर 3000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना देने के लिये एनजीटी ने राजस्थान सरकार को दो महीने का समय दिया है। इस दौरान सरकार को यह राशि एक अलग बैंक खाते में जमा करनी होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

512 नवीन इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

18 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। इन नवीन रसोइयों के संचालन के बाद प्रदेश में इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर 870 हो जाएगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के इंदिरा रसोई संचालकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य कर रहीं सहयोगी संस्थाओं, पैंथर एजुकेशन सोसायटी जोधपुर, विद्या जन-जागरण संस्थान धौलपुर, श्रीनाथ शिक्षण प्रशिक्षण व स्वास्थ्य एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी रावतसर के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन राशि, मोमेन्टो तथा साफा पहनाकर एवं श्री मानव सेवा समिति भीलवाड़ा, टच स्टोन फाउंडेशन जयपुर तथा मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति-पत्र एवं मोमेन्टो देकर सम्मानित किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में स्व. इंदिरा गांधी ने सबसे पहले गरीबों, पिछड़ों एवं वंचितों के कल्याण के लिये 'गरीबी हटाओ'का नारा दिया था। इसी भाव से आमजन को पूरे सम्मान एवं सेवा भाव के साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा 'इंदिरा रसोई योजना'का संचालन किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'कोई भूखा न सोए'के संकल्प के साथ शुरू की गई 'इंदिरा रसोई योजना'के माध्यम से कोरोना काल में 72 लाख लोगों को सरकार द्वारा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया। कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिये नि:शुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई।
- इस योजना का लाभ विद्यार्थियों एवं श्रमिकों सहित सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से आमजन को मात्र 8 रुपए में पौष्टिक एवं भरपेट भोजन उपलब्ध हो रहा है। सरकार इस योजना में 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दे रही है।
- अब तक 358 इंदिरा रसोइयों से 7 करोड़ से ज़्यादा पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन की थालियाँ आमजन को परोसी जा चुकी हैं। 512 नई रसोइयों की स्थापना से इस संख्या को लगभग 14 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल्द ही और रसोइयाँ शुरू कर बजट घोषणा के अनुसार इंदिरा रसोइयों की संख्या 1000 की जाएगी।

जोधपुर में स्थापित होगी क्रिकेट अकादमी

चर्चा में क्यों ?

18 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के बरकतुल्लाह खाँ स्टेडियम में नवीनीकरण कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए जोधपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आसीए) और जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के मध्य समझौता-पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गए। इसमें आरसीए तथा जेडीए के सचिव ने हस्ताक्षर किये। इसी के साथ स्टेडियम के प्रबंधन और संचालन की ज़िम्मेदारी जेडीए ने आरसीए को सौंप दी।
- उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 करोड़ रुपए की लागत से बरकतुल्लाह खाँ स्टेडियम में विभिन्न नवीनीकरण कार्य करवाए गए हैं। इनमें खिलाड़ियों के लिये जिम, 26 हज़ार कुर्सियाँ, फिजियो रूम, एंटी डोपिंग रूम, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मीडिया रूम के अलावा मुख्य मैदान और प्रैक्टिस मैदान में दो लाल मिट्टी और तीन काली मिट्टी की पिच अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप बनाई गई हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला बजट युवाओं को समर्पित होगा, जिनमें खिलाड़ी भी शामिल हैं। उन्होंने युवाओं को बजट को लेकर सुझावों की अपील की और कहा कि बजट के समय सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सर्वहितकारी बजट बनाया जाएगा।
- उन्होंने वैश्विक ज़रूरतों के अनुरूप शिक्षा के लिये अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों के संचालन तथा 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' का ज़िक्र करने के साथ ही प्रदेश की एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की बात कही, जिसमें 3 साल तक इंटरनेट सुविधा नि:शुल्क मिलेगी। इससे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई आदि में सुगमता होगी।

नोट :

प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति-2022 हुई जारी

चर्चा में क्यों ?

17 सितंबर, 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति-2022 जारी की। इससे न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा, बल्कि शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों के रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री शकुंतला रावत जयपुर में राजस्थान एमएसएमई दिवस के मौके पर आयोजित उद्योग रत्न एवं निर्यात पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रही थीं। वाणिज्य मंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान की हस्तकलाओं पर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक 'राजस्थानी कारीगरी'का विमोचन भी किया।
- इस अवसर पर प्रदेश में निर्यात संवर्धन के प्रोत्साहन के लिये 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवाड्र्स और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिये 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न अवाड्र्स से भी सम्मानित किया गया।
- इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिये 29 उद्यमियों के साथ 14 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश एमओयू का भी आदान-प्रदान हुआ।
- उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू होने से टेक्सटाइल, मेटल एंड वुड, कारपेट, दरी, नमदा, सेरेमिक एवं क्लेआर्ट, पेन्टिंग, लेदर क्राफ्ट, ज्वैलरी आदि के दस्तकारों को लाभ होगा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50 हज़ार से अधिक नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- उन्होंने कहा कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिये बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था, परंपरागत कलाओं एवं विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जिवित करना और रोज़गार के नए अवसर सृजित करना है।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

20 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सहकारिता मंत्री आंजना उदयलाल ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया था।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक पर चर्चा के बाद सहकारिता मंत्री ने इसके उद्देश्यों व कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संशोधित विधेयक में सहकारी समितियों के दक्ष कार्यकरण के लिये लंबी सेवा वाले एवं अनुभवी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप धारा (7-क) को हटाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 28 की विद्यमान उप-धारा (7-क) यह उपबंध करती थी कि कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा, यदि वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 11) के प्रारंभ के पश्चात् उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिये निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका है, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है।
- इससे पहले विधेयक को सदस्यों द्वारा प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

नोट :

राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

20 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- संसदीय कार्यमंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया।
- इस संशोधित विधेयक के अनुसार राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम 1956 धारा 4-घ में नई उप-धारा (2) जोड़ी गई है।
- इस संशोधन के बाद राजस्थान के पूर्व सदस्य रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में विदेश यात्रा करने पर वास्तविक किराए का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ऐसी यात्रा के लिये विधानसभा अध्यक्ष से अनुमोदन आवश्यक होगा। पूर्व में यह सुविधा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यात्रा के लिये ही देय थी।
- इससे पहले विधेयक को सदस्यों द्वारा प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

21 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री और विधायक बुलाकी दास कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी तरह से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफबीआरएम) का पालन किया है। राज्य का राजकोषीय घाटा 5 प्रतिशत से कम रहा है, जबकि 2016-17 में यह09 प्रतिशत था।
- उन्होंने बताया कि सरकार के ऑन टैक्स रेवेन्यू में 28 प्रतिशत और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन की वजह से अगस्त, 2021 में राजस्व प्राप्तियाँ 90 हज़ार 11 करोड़ रुपए प्राप्त हुई थीं, जो इस वर्ष अगस्त में 1 लाख 30 हज़ार 777 करोड़ रुपए पहुँच गई हैं।
- प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार ने अनुपूरक अनुदान की मांगें आरजीएसएस, ईआरसीपी, नेहरू यूथ हॉस्टल (दिल्ली), इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना, जयपुर मेट्रो, उड़ान इत्यादि के क्रियान्वयन के लिये ली हैं। सरकार का मकसद कैपिटल असेट्स बनाना और पैसे का सदुपयोग करना है।
- विधेयक को सदन में रखते हुए उन्होंने बताया कि यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय एवं विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये लाया गया है। विधेयक पारित होने से 4 हज़ार 402 करोड़ 12 लाख 18 हज़ार रुपए की राशि संदत्त और उपयोजित की जा सकेगी।
- इससे पूर्व विधानसभा ने अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 (प्रथम संकलन) को भी पारित किया। प्रभारी मंत्री कल्ला ने मांगों का उपस्थापन किया, जिसे सदन ने मुखबंद का प्रयोग कर पारित कर दिया।

नोट :

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों ?

21 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया था।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधेयक पर हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के साथ विचार-विमर्श के बाद ही विधेयक में संशोधन किये गए हैं। बार काउंसिल ने अगस्त, 2021 में सरकार को पत्र में जो भी सुझाव दिये थे, वे इस विधेयक में शामिल किये गए हैं।
- उन्होंने कहा ही काउंसिल के ही सुझाव पर 5 से 50 वर्ष तक वकालत का कार्य करने के बाद अधिवक्ताओं को राशि देने का विधेयक में प्रावधान किया गया है। यह राशि एक्स-ग्रेसिया नहीं, अपितु अधिवक्ताओं की सेवाओं का प्रतिफल है।
- डॉ. कल्ला ने बताया की विधेयक में वकालत पर 100 रुपए के स्टाम्प का प्रावधान किया है। सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय या जेडीए सहित सभी कोर्ट में यह समान रूप से लागू होगा। यह संशोधन भी काउंसिल के सुझाव पर ही शामिल किया गया है।

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

21 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया था।

प्रमुख बिंदु

- राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने विधेयक पर हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में कहा कि यह नया विधेयक केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी लाए गए तीन कृषि कानूनों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये लाया गया है। केंद्रीय कानूनों के निरस्त होने के बाद इस कानून के माध्यम से पुन: पहले वाली स्थिति को अस्तित्व में लाया जा रहा है। साथ ही, कृषि मंडियों में गैर-अधिसूचित कृषि उपजों तथा खाद्य उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाया गया है।
- मुरारीलाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की वजह से मंडी समितियों द्वारा संगृहीत की जाने वाली मंडी फीस और किसान कल्याण फीस में काफी कमी आ गई थी। इन कानूनों के आने से पहले वर्ष 2019-20 में कृषि मंडी समितियों को 665 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई।
- नए केंद्रीय कृषि कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद इनकी राजस्व प्राप्ति गिरकर वर्ष 2020-21 में 562 करोड़ रुपए एवं वर्ष 2021-22 में 424 करोड़ रुपए रह गई। इससे मंडियों के आधारभूत विकास पर विपरीत असर पड़ा है।
- उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की अधिसूचना जारी होने के बाद 24 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें व्यापार मंडलों एवं किसान प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा कर मंडियों में पहले की तरह ही व्यवस्थाएँ करने का निर्णय लिया गया।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसान कल्याण शुल्क के माध्यम से एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयाँ लगाने और आधारभूत संरचना विकास के लिये एक करोड़ रुपए तक अनुदान दे रही है।
- राज्य मंत्री ने बताया कि कृषि मंडियों में अधिसूचित वस्तुओं के साथ गैर-अधिसूचित कृषि उपज का भी व्यापार करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मंडी यार्ड के भीतर गैर-अधिसूचित कृषि उपजों तथा खाद्य उत्पादों के कारोबार के लिये व्यापारियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये एक नई धारा 17ख जोड़ी गई है। इन वस्तुओं पर मात्र 0.25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में यह शुल्क एक फीसदी से अधिक है।

नोट :

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

22 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्री डॉ.बी.डी. कल्ला ने बताया कि विधेयक में इनपुट क्रेडिट टैक्स में सुधार किया गया है। व्यवहारी द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के गलत दावे प्रस्तुत करने पर क्रेडिट टैक्स का उपयोग करने के बाद अब ब्याज देय होगा। साथ ही, क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था को भी विधेयक में शामिल किया गया है।
- डॉ. कल्ला ने बताया कि इस विधेयक में यह प्रावधान भी शामिल किया गया है कि 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर पंजीयन को रद्द नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जीएसटी आर-1, 3 एवं 8 की विवरणियों में भी सुधार किया गया है, जिससे विवरणियों में विसंगतियों को रोका जाएगा।
- प्रभारी मंत्री ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल वित्तीय प्रबंधन से जीएसटी के आधार वर्ष (2017-18) में राज्य में 12 हज़ार 137 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जो कि वर्ष 2021-22 में 27 हज़ार 501 करोड़ रुपए पहुँच गया।
- उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में राज्य के जीएसटी कलेक्शन में5 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई है, जो कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व हरियाणा से अधिक है।
- उल्लेखनीय है कि जीएसटी को वर्ष 2017 में लागू किया गया था।

अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

22 सितंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- टीकाराम जूली ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ऋण के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इस पोर्टल पर अब सारा डाटा जनाधार से लिया जाएगा, जिससे अन्य दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात् राशि सीधे आवेदनकर्त्ता के खाते में डीबीटी की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पारदर्शिता आएगी। उन्होंने अनुजा निगम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण एवं आर्थिक सहायता योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर ज़ोर दिया, ताकि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति लाभान्वित हो सके।
- टीकाराम जूली ने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति के विकास एवं उत्थान के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 करोड़ रुपए के अनुसूचित जाति विकास कोष का गठन किया है।

अलवर में होगा फूड पार्क का निर्माण

चर्चा में क्यों ?

23 सितंबर, 2022 को राजस्थान के कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने विधानसभा में बताया कि अलवर ज़िले में सर्वे करवाकर ज़मीन उपलब्ध होने पर फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुरारी लाल मीणा ने बताया कि अलवर ज़िले में रीको द्वारा वर्ष 2006-07 से मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क संचालित है तथा राज्य सरकार द्वारा अब सभी ज़िलों में फूड पार्क का निर्माण करवाया जाएगा तथा 21 ज़िलों में फूड पार्क बनाने की घोषणा हो चुकी है।
- उन्होंने बताया कि बजट वर्ष 2021-22 में कृषि जिंसों एवं उनके प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने के लिये आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक ज़िले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है।
- मंत्री मीणा ने बताया कि अलवर ज़िले में मिनी फूड पार्क का संचालन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

'राजस्थान महिला निधि' की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान

चर्चा में क्यों ?

25 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिये 'राजस्थान महिला निधि'की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में महिला निधि की स्थापना के लिये आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपए का अंशदान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की अनुपालना में यह वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य है, जहाँ महिला निधि की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 26 अगस्त, 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर 'राजस्थान महिला निधि'की शुरूआत की थी।
- 'राजस्थान महिला निधि'का गठन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के माध्यम से किया गया है।
- इस निधि के माध्यम से समूह की महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता, स्वरोज़गार व आय अर्जन गतिविधि हेतु सुलभ व पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इससे प्रदेश की महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।
- इस योजना में 40 हज़ार रुपए तक के ऋण 48 घंटे में व 40 हज़ार रुपए से अधिक के ऋण 15 दिवस की समय सीमा में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 70 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 30 लाख परिवार जुड़े हुए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 हज़ार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें लगभग 6 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। राज्य में कुल 36 लाख परिवारों को उनकी आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा।

'लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' के लिये 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान

चर्चा में क्यों ?

25 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना'के लिये 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब योजना के सुगम संचालन में सहायता मिलेगी तथा लाभार्थियों का दायरा बढ़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा छोटे व्यवसायिओं एवं निवेशकर्त्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये लाई गई 'मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना'के लिये 150 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी थी।
- इस योजना के लिये पूर्व में ही लगभग 58 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इसके लिये प्रावधित बजट में वृद्धि की गई है।

नोट :

विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिये 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान

चर्चा में क्यों ?

26 सितंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण योजना के तहत संचालित विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिये 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा योजना हेतु 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति से विशेष पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को फीस का पुनर्भरण एवं मेंटेनेंस भत्ता मिल सकेगा तथा उनके अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।
- उल्लेखनीय है कि विशेष पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाले खर्च को वहन करने में सहायता करने तथा उनकी आर्थिक रूप से सहायता करने के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लाई गई है।
- योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में पात्र विद्यार्थियों को 88 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्तियाँ पहले ही दी जा चुकी हैं।

प्रदेश के 716 विद्यालय पीएम श्री योजना में बनेंगे मॉडल स्कूल

चर्चा में क्यों ?

27 सितंबर, 2022 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मोहन लाल यादव ने बताया कि 'पीएम श्री योजना'अर्थात् 'प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना'के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. मोहन लाल यादव ने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से दो विद्यालय चयनित किये जाएंगे। एक विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा व एक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा का होगा। यह सभी स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की पूरी भावना समाहित होगी।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर, 2022 को पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किये गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किये गए स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों की झलक दिखाई देगी और ये अनुकरणीय स्कूलों की तरह कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य स्कूलों का मार्गदर्शन भी करेंगे।
- चयन प्रक्रिया त्रिस्तरीय होगी। यू-डाईस प्लस डाटा के आधार पर विद्यालयों का चयन होगा। निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले विद्यालय चयनित होंगे। विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन चैलेंज पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा, पोर्टल 1 अक्टूबर, 2022 से प्रारंभ होगा। राज्य द्वारा इनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- उक्त योजना 2022-23 से 2026-27 तक के लिये मंजूर हुई है तथा 5 वर्ष के लिये 27360 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। राजस्थान के लिये लगभग 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

जयपुर में विकसित हो रहा देश का पहला कोचिंग हब

चर्चा में क्यों ?

28 सितंबर, 2022 को आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये बेहतर सुविधाएँ देने तथा कोचिंग संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध कराने के लिये आवासन मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल द्वारा करीब 228 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के प्रताप नगर में 65 हज़ार वर्ग मीटर भूमि पर सुनियोजित तरीके से इस कोचिंग हब को विकसित किया जा रहा है। इस कोचिंग हब में प्रथम चरण में 5 संस्थानिक ब्लॉक तथा 90 व्यावसायिक परिसर तैयार किये जा रहे हैं।
- यह राज्य सरकार की एक अनूठी परियोजना है, जिसके माध्यम से देश-प्रदेश के छात्र-छात्राओं को एक ही परिसर में सभी शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। पार्किंग, ट्रैफिक जाम आदि की समस्या से परे यह स्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिये शांत वातावरण वाला अनुकूल स्थान होगा।
- इस कोचिंग हब में करीब 70 हज़ार विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ लेकर अपना करियर बना सकेंगे। कोचिंग सेंटर संचालकों को भी यहाँ आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होने से कोचिंग संचालन में काफी सुविधा होगी।
- योजना में केंद्रीकृत पुस्तकालय, साइबर लैब, मनोरंजन केंद्र, जिम, हेल्थ क्लब, फूड कोर्ट एवं रेस्टोरेंट की सुविधाओं के अतिरिक्त जॉगिंग, साइक्लिंग ट्रैक, छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों हेतु पृथक्-पृथक् हॉस्टल एवं सिक्योरिटी सर्विलांस इत्यादि सुविधाएँ भी विकसित की जा रही हैं।
- कोचिंग हब योजना में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गारों के नवीन अवसरों का भी सृजन होगा, जिससे स्थानीय निवासी भी लाभान्वित होंगे।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

29 सितंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- टीकाराम जूली ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मोबाइल एप्लीकेशन तथा मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना, पालनहार योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल के नवीन स्वरूप का उद्घाटन किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये।
- जूली की अध्यक्षता में पालनहार योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के सुदृढ़ीकरण व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एकदिवसीय आमुखीकरण व प्रशिक्षण कार्यक्रम जयपुर स्थित हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित किया गया।
- यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने कहा कि आज सूचना तकनीक का युग है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता आएगी तथा कार्य में प्रगति होगी।
- उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन मे ज़िलाधिकारियों को आ रही समस्याओं का समाधान करना है।
- शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि विभाग की अधिकारियों और कर्मचारियों की अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करने, भ्रष्टाचार करने और अनुशासनहीनता के मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है।
- कार्यशाला मे पालनहार योजना के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, छात्रावास, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सिलिकोसिस योजना, लंबित ऑडिट पैरा के निस्तारण, आवासीय विद्यालय, विद्या संबल योजना, कोर्ट प्रकरणों एवं अवमानना प्रकरण तथा ज़िला स्तर पर लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा की गई और ज़िलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

नोट :